



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं.-30/2024 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में प्राचार्य के कुल 01 (एकल) पद एवं उप प्राचार्य के कुल 01 (एकल) पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है।

नोट:-उपरोक्त एकल पद में आरक्षण लागू नहीं है। विवेचित पद पर मेधा के आधार पर चयन करते हुए नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

2. वेतनमान:- प्राचार्य (लेवल-13) एवं उप प्राचार्य (लेवल-12)

3. प्राचार्य एवं उप प्राचार्य की नियुक्ति हेतु अहंता:-

(i) भारत का नागरिक हो।

(ii) प्राचार्य एवं उप प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहंता अधोलिखित होगी:-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य, अभियंत्रण, प्रबंधन में 55% के साथ स्नातकोत्तर डिग्री। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जायेगी।

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा प्रदत्त बी०एड०/डिप०इन०एड०/डिप०इन०टिच०/सी०टी० अथवा राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण की योग्यता।

(ग) मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 15 वर्षों का अनुभव, जिसमें 10 वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर शिक्षक एवं 5 वर्ष का शैक्षिक प्रशासक के रूप में अनुभव।

शैक्षणिक अनुभव के संबंध में यदि अभ्यर्थी सरकारी विद्यालय में कार्य किये हों, ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जायेगा। गैर सरकारी विद्यालय के कर्मी होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रिन्सिपल द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जायेगा, बशर्ते अभ्यर्थी के उक्त अवधि का बैंक के माध्यम से भुगतान का स्पष्ट साक्ष्य हो।

नोट:-न्यूनतम अहंता, शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता एवं शैक्षणिक अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-21.05.2024 तक का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

4. उम्र सीमा :- दिनांक 01.01.2024 को अधिकतम आयु 55 वर्ष एवं न्यूनतम 40 वर्ष। सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष।

अनुबंध नियोजन के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा।

5. चयन प्रक्रिया - प्रारम्भिक परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर की जायेगी।

(A) प्रारम्भिक परीक्षा:-

- कुल प्रश्नों की संख्या-120 होगी तथा समयावधि 2 घंटे की होगी।
- सभी प्रश्न बहुविकल्पीय एवं वस्तुनिष्ट होंगे।
- 120 प्रश्न के चार भाग यथा 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 30 प्रश्न गणित के, 30 प्रश्न विवेक परीक्षण (Reasoning) के एवं 30 प्रश्न अंग्रेजी व्याकरण के होंगे। सभी प्रश्न प्रवेशिका स्तर के होंगे।
- सभी भाग में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की दस (10) गुणी होगी। कोटिवार समान कट औफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा।

प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा।

(B) मुख्य परीक्षा:-

- मुख्य परीक्षा दो पालियों में सम्पन्न कराया जायेगा।
- दो पालियों में एक पाली अन्तर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे एवं दूसरी पाली में अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित विषय सूची में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, जिसमें चयनित विषय से संबंधित प्रश्न होंगे-

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| (i) भौतिकी | (xi) मनोविज्ञान |
| (ii) रसायन विज्ञान | (xii) दर्शनशास्त्र |
| (iii) गणित | (xiii) हिन्दी भाषा एवं साहित्य |

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| (iv) वनस्पति विज्ञान | (xiv) अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य |
| (v) जन्तु विज्ञान | (xv) संस्कृत भाषा एवं साहित्य |
| (vi) इतिहास | (xvi) उर्दू भाषा एवं साहित्य |
| (vii) राजनीति विज्ञान | (xvii) वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि |
| (viii) भूगोल | (xviii) व्यवसाय अध्ययन |
| (ix) अर्थशास्त्र | (xix) उद्यमिता (Entrepreneurship) |
| (x) समाजशास्त्र | |

- एक पाली के अन्तर्गत आयोजित परीक्षा में 30 प्रतिशत अंकों के प्रश्न लघुउत्तरीय होंगे तथा 70 प्रतिशत अंकों के प्रश्न दीर्घउत्तरीय होंगे।
- प्रत्येक पाली में कुल 300 अंकों का प्रश्न होगा तथा एक पाली की समय अवधि 3 घंटे की होगी।
- सभी प्रश्न स्नातक प्रतिष्ठा स्तर के होंगे, परन्तु कठिनाई (Difficulty) स्तर स्नातकोत्तर का होगा।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं पत्रांक-6706, दिनांक-01.10.2008 द्वारा मुख्य (लिखित) परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए चालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग के लिए साढ़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए चौंतीस प्रतिशत (34%) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे।

(C) साक्षात्कार:— साक्षात्कार 100 अंकों का होगा।

- मुख्य (लिखित) परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के ढाई (2½) गुणा होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जायेगा।
- लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- लिखित परीक्षा एवं अन्तर्विज्ञान (साक्षात्कार) में प्राप्तांकों एवं अनुबंध के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 05 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 05 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा) के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

नोट:-—अनुबंध के आधार पर किये गये कार्य अवधि की गणना आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि—21.05.2024 तक की जायेगी।

6. आवश्यक निर्देशः—

- (I) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- (II) सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि—21.05.2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि अतिरिक्त शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है, तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।

नोट:-(1) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

(2) आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण—पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा—

- (i) मैट्रिक का प्रमाण—पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य एवं अक के निर्धारण हेतु)।
- (ii) स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 न्यूनतम अर्हता के अनुरूप)।
- (iii) स्नातकोत्तर का अंक पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 न्यूनतम अर्हता के अनुरूप)।
- (iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा प्रदत्त बी०ए८०/डिप०इन०ए८०/डिप०इन०टिच०/सी०टी० अथवा राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण की योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र।
- (v) शैक्षणिक अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 न्यूनतम अर्हता के अनुरूप)।
- (vi) अनुबंध के आधार पर कार्य अनुभव हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
- (vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।
- (viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)। (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।

- (ix) बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।
- (x) दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/उम्र सीमा में छूट का दावा करने के स्थिति में)।
- (xi) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हों तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
- (xii) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
- (xiii) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।

उपर्युक्त प्रमाण—पत्र सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सत्यापन के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सूधार का एक अंतिम अवसर दिया जायेगा। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण—पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया/परीक्षा के प्रारंभ से लेकर अब तक के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर तथा सभी चरणों में योग्य एवं सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा, अन्यथा उसे असफल एवं अयोग्य घोषित कर उसे काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।

7. शुल्कः—

अभ्यर्थियों को उक्त पद के लिए Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये तथा अलग—अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना हैः—

- (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए— 600/- (छ: सौ) रुपये
- (ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए— 150/- (एक सौ पचास) रुपये
- (iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए— 150/- (एक सौ पचास) रुपये
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए— 150/- (एक सौ पचास) रुपये
- (v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए— 600/- (छ: सौ) रुपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोटः—(a) वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

(b) वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी/बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनहित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंयं निर्णय ले सकते हैं।

8. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैः— (i)

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	30.04.2024
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	21.05.2024

(ii) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये न्यूनतम अर्हता, शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता एवं शैक्षणिक अनुबंध आधारित अनुभव तथा आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ साक्षात्कार के समय ही किया जायेगा। इसके पूर्व इसकी जाँच सामान्यतया नहीं होगी और बाद में जाँच में प्रमाण—पत्र सही नहीं पाये जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा दिया गया तथ्य/साक्ष्य गलत/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जायेगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही इस कारण अभ्यर्थी को वर्तमान और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।

(Signature)

(iv) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in/www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

(A) Registration के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि Registration में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएँ सही हैं। यदि Registration में की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगत होती है तो Cancel करते हुए नये सिरे से Registration कर सकते हैं।

(B) Application Form Submit करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर Dashboard पर उपलब्ध Download filled Application Section से भरा हुआ आवेदन Download कर लेंगे।

नोट:- (i) वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन Cancel करना चाहते हों, वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपने Application को Cancel करते हुए उसी Mobile No./Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर Edit करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरण: अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(v) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(vi) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी अंकित नहीं करेंगे।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक का दावा करने के स्थिति में ऑनलाइन आवेदन की कंडिका-3

(i) में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No) को Select करने के पश्चात् ही श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा।

(viii) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(ix) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(x) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

(xi) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की पाँच प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(xii) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

(xiii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(xiv) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निरिचित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अहंता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।



9. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अन्यथी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध “Download Filled Application Section” से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण—पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
 - (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण—पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण—पत्रों के सामने अन्यथी प्रमाण—पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।
10. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अन्यथिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अन्यथियों की अहता के संबंध में अन्यथियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
11. शैक्षिक परीक्षा एवं अनुभव संबंधी प्रमाण—पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन—पत्र में किया है।
12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
13. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तालिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
14. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

Chm: 14/03/2024
परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।